

EXPANDED FIELD EDITION — BUMP 3

15-Year Vehicle Fitness Renewal, Scrap Certificate & Fraud Shield

15 साल पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल, ग्रीन टैक्स, CMVR Rule 52, RVSF स्क्रेपिंग प्रक्रिया,
NCRB चोरी जांच एवं लीगल सेफ्टी बॉन्ड मास्टर गाइड

Author: Learning Wave Heavy Commercial & Legal Safety Division

Chapter 1: 15 साल पुरानी गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन कानून (CMVR Rule 52)

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) 1989 के नियम 52 के तहत सभी प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल बाद रिन्यू कराना अनिवार्य है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

15 साल बाद रजिस्ट्रेशन की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई जाती है। कमर्शियल वाहनों के लिए 8 साल बाद हर साल फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होता है।

RTO Field Inspection Note: रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने के बाद गाड़ी सड़क पर चलाना अवैध है और इस पर ₹5,000 से ₹10,000 तक भारी जुर्माना लगता है।

Chapter 2: ग्रीन टैक्स (Green Tax / Environmental Cess) कैलकुलेशन

15 साल पुरानी गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 'ग्रीन टैक्स' वसूला जाता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

ग्रीन टैक्स की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है (साधारण रोड टैक्स का 10% से 25%)। अत्यधिक प्रदूषित शहरों (NCR zone) में ग्रीन टैक्स दरें अधिक हैं।

RTO Field Inspection Note: Parivahan पोर्टल पर फॉर्म 25 भरते समय ग्रीन टैक्स ऑटोमैटिक कैलकुलेट होकर फीस रसीद में जुड़ जाता है।

Chapter 3: Form 25 (Application for Renewal of Registration Certificate)

15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों (कार, बाइक) के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए Form 25 भरा जाता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

Form 25 के साथ ओरिजिनल RC, ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी, PUC सर्टिफिकेट और टैक्स क्लीयरेंस रसीद संलग्न की जाती है।

RTO Field Inspection Note: फॉर्म 25 पर व्हीकल चैसिस नंबर का पेंसिल स्केच ट्रेस (Pencil Trace) लगाना अनिवार्य है।

Chapter 4: RTO इंस्पेक्शन ट्रैक और फिजिकल व्हीकल वेरीफिकेशन

15 साल पुरानी गाड़ी को शारीरिक रूप से RTO के इंस्पेक्शन ट्रैक (Automated Testing Centre / MVI Track) पर ले जाना होता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) गाड़ी के निम्नलिखित घटकों की जांच करता है: 1. चैसिस एवं इंजन नंबर, 2. हेडलाइट व सिग्नल लाइट, 3. ब्रेक एफिशिएंसी, 4. वाइपर व हॉर्न, 5. बॉडी पेंट और जंग की स्थिति।

RTO Field Inspection Note: यदि गाड़ी की बॉडी अत्यधिक जंग से सड़ी हुई है या धुआं अधिक दे रही है, तो MVI इंस्पेक्शन फेल कर देता है।

Chapter 5: पेंसिल चेसिस ट्रेस (Pencil Chassis Trace) लेने की सही तकनीक

चेसिस नंबर गाड़ी के फ्रेम/इंजन बे पर लोहे पर गुदा होता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

चेसिस नंबर पर जमी धूल और ग्रीस को केरोसिन या IPA से साफ करें। इसके ऊपर सफेद कागज रखें और सॉफ्ट 2B या 4B पेंसिल से घिसकर उभार लाएं।

RTO Field Inspection Note: कागज पर उभरे हुए चेसिस नंबर को काटकर Form 25 पर गोंद से चिपकाएं। यह ट्रेस बिल्कुल साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए।

Chapter 6: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) 10/15 साल व्हीकल बैन नियम

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशानुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

NCR में 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रिन्यूअल नहीं होता; इन्हें केवल NCR से बाहर के राज्यों के लिए NOC दी जाती है।

RTO Field Inspection Note: यदि NOC 15 साल पूरे होने से पहले नहीं ली गई, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त (Deregistered) कर दिया जाता है।

Chapter 7: Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) पॉलिसी

भारत सरकार की राष्ट्रीय वाहन स्कैपेज नीति (National Vehicle Scrappage Policy) के तहत पुरानी व अनफिट गाड़ियों को स्कैप किया जाता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

गाड़ी को केवल अधिकृत RVSF सेंटर (Registered Scrapping Centre) पर ही जमा करें। अनधिकृत कबाड़ी को गाड़ी बेचना गैर-कानूनी है।

RTO Field Inspection Note: RVSF सेंटर गाड़ी का वजन करके स्कैप वैल्यू का भुगतान सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में करता है।

Chapter 8: Certificate of Deposit (COD) प्राप्त करना और उसके लाभ

RVSF सेंटर गाड़ी का स्कैप पूरा होने पर पोर्टल पर 'Certificate of Deposit (COD)' जनरेट करता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

COD के लाभ: 1. नई गाड़ी खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 5% की छूट, 2. नए वाहन के रोड टैक्स में 25% तक की छूट, 3. नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ।

RTO Field Inspection Note: COD एक हस्तांतरणीय (Transferable) डिजिटल प्रमाणपत्र है जिसे किसी भी नए वाहन खरीदार को बेचा जा सकता है।

Chapter 9: Certificate of Destruction (CoD-2) और RC Cancellation

RVSF सेंटर गाड़ी स्कैप होने के बाद RTO को डिजिटल सूचना भेजता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

RTO Vahan 4.0 पोर्टल पर उस गाड़ी की आरसी को हमेशा के लिए 'Cancelled due to Scrapping' मार्क कर देता है।

RTO Field Inspection Note: आरसी रद्द होने के बाद उस गाड़ी का दुरुपयोग (चोरी या गलत नंबर प्लेट) होने का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

Chapter 10: NCRB (National Crime Records Bureau) स्टोलेन व्हीकल चेकिंग

किसी भी पुरानी गाड़ी का ट्रांसफर या NOC का काम हाथ में लेने से पहले उसकी आपराधिक जांच जरूरी है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

NCRB के 'Vahan Samanvay' पोर्टल (ncrb.gov.in) पर जाकर व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करके 'Stolen Vehicle Status' जांचें।

RTO Field Inspection Note: यदि व्हीकल NCRB की रेड लिस्ट में है या पुलिस एफआईआर दर्ज है, तो काम करने से तुरंत मना कर दें और कोई एडवांस न लें।

Chapter 11: फर्जी NOC और डुप्लीकेट बैंक NOC की पहचान करना

मार्केट में कई बार गलत लोग फर्जी बैंक NOC या दूसरे राज्य की जाली NOC लेकर काम कराने आते हैं।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

असली बैंक NOC पर बैंक का होलोग्राम, डिस्पैच नंबर, बैंक मैनेजर की राउंड सील और बारकोड होता है। बैंक के टोल-फ्री नंबर पर NOC डिस्पैच नंबर सत्यापित करें।

RTO Field Inspection Note: जाली NOC के आधार पर काम करने पर RTO एजेंट के खिलाफ भी 420 (धोखाधड़ी) का पर्चा दर्ज हो सकता है।

Chapter 12: Client Safety Declaration & Legal Indemnity Bond

किसी भी संदिग्ध या पुरानी गाड़ी का काम लेते समय कस्टमर से ₹100 के नॉन-जुडिशल स्टाम्प पेपर पर 'Indemnity Bond' (क्षतिपूर्ति बंध पत्र) लें।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

बॉन्ड का मजमून: 'मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि वाहन संख्या... का मैं वास्तविक मालिक हूँ। वाहन के सभी दस्तावेज सही हैं। यदि भविष्य में वाहन चोरी, विवादित या जाली पाया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण आपराधिक व दीवानी जिम्मेदारी मेरी होगी तथा RTO कंसल्टेंट का इससे कोई संबंध नहीं होगा।'

RTO Field Inspection Note: कस्टमर का आधार कार्ड और दस्तखत बॉन्ड पर करवाकर अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें।

Chapter 13: इंटर-स्टेट एनओसी (Inter-State NOC - Form 28) मास्टरक्लास

एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए ओरिजिनल RTO से Form 28 (3 प्रतियां) में NOC ली जाती है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

NOC फाइल के साथ ओरिजिनल RC, इंश्योरेंस, PUCC, क्राइम ब्रांच रिपोर्ट (NCRB Clearance) और एड्रेस प्रूफ लगाना होता है।

RTO Field Inspection Note: NOC जारी होने के बाद मूल RTO की कंप्यूटर स्क्रीन पर 'NOC Issued to State X' दर्ज हो जाता है।

Chapter 14: NOC रद्दीकरण (NOC Cancellation Procedure)

यदि कस्टमर एनओसी लेने के बाद दूसरे राज्य में गाड़ी नहीं ले जाता और पुरानी जगह ही आरसी रखना चाहता है, तो NOC Cancel करानी पड़ती है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

इसके लिए नए राज्य के RTO से 'Non-Utilization Certificate (NUC)' बनवाकर मूल RTO में Form 28 की ओरिजिनल प्रतियों के साथ जमा करें।

RTO Field Inspection Note: NOC निरस्त होने के बाद ही गाड़ी पुराने RTO में एक्टिव होती है।

Chapter 15: Re-assignment of Registration Mark (नया स्टेट नंबर पाना)

दूसरे राज्य की एनओसी लेकर नए राज्य के RTO में पहुंचने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर (जैसे DL से UP या MH) आवंटित किया जाता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

इसके लिए Form 27 के साथ नए राज्य का डिफरेंशियल रोड टैक्स (Road Tax Difference) जमा करना होता है।

RTO Field Inspection Note: नया नंबर मिलने के बाद नए RTO द्वारा नया स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है।

Chapter 16: रोड टैक्स रिफंड (Road Tax Refund from Parent RTO)

जब गाड़ी का दूसरे राज्य में नया नंबर मिल जाता है, तो पुराने राज्य के RTO से बचा हुआ रोड टैक्स रिफंड लिया जा सकता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

रिफंड के लिए नए RTO की नई RC कॉपी, नए टैक्स की रसीद और Form 16 भरकर पुराने RTO के अकाउंट सेक्शन में जमा करें।

RTO Field Inspection Note: पुराना RTO बचे हुए सालों का अनुपातिक रोड टैक्स कस्टमर के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देता है।

Chapter 17: कमर्शियल व्हीकल (Truck/Bus) 8-Year Fitness Rules

कमर्शियल वाहनों की फिटनेस पहली बार 2 साल के लिए बनती है, और 8 साल पूरे होने के बाद हर 1 साल में फिटनेस रिन्यूअल अनिवार्य है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

कमर्शियल फिटनेस में स्पीड गवर्नर (Speed Governor System) और जीपीएस (VLTD - Vehicle Location Tracking Device) का ऑनलाइन एक्टिव होना अनिवार्य है।

RTO Field Inspection Note: स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट और वीएलटीडी पोर्टल ओके होने पर ही MVI फिटनेस अप्रूव करता है।

Chapter 18: All India Tourist Permit (AITP) ऑनलाइन ऑथराइजेशन

टूरिस्ट टैक्सी और बसों के लिए AITP Rules 2021 के तहत ऑनलाइन परमिट जारी किया जाता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

AITP पोर्टल पर 1 साल या 3 साल के लिए निर्धारित फीस ऑनलाइन पे करें। पूरे भारत में गाड़ी चलाने के लिए अलग से स्टेट टैक्स नहीं देना पड़ता।

RTO Field Inspection Note: AITP ऑथराइजेशन लेटर डाउनलोड करके गाड़ी में रखना अनिवार्य है।

Chapter 19: स्टेट बॉर्डर टैक्स (State Border Tax / Checkpost Tax) ऑनलाइन पेमेंट

जब कोई कमर्शियल गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करती है, तो उसे चेकपोस्ट टैक्स (Checkpost Tax) देना होता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

Checkpost Parivahan पोर्टल पर बॉर्डर एंट्री से पहले ही ऑनलाइन टैक्स पे कर दें।

RTO Field Inspection Note: ऑनलाइन टैक्स रसीद गाड़ी के ड्राइवर के पास होने पर बॉर्डर चेकपोस्ट पर गाड़ी रुकती नहीं है और समय बचता है।

Chapter 20: Duplicate Chassis Number Engraving Permission (RTO Sanction)

दुर्घटना या जंग लगने के कारण यदि गाड़ी का चेसिस नंबर घिस जाता है या नष्ट हो जाता है, तो नया चेसिस नंबर खुदवाने के लिए RTO परमिशन ली जाती है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

MVI की संस्तुति पर ARTO द्वारा 'Chassis Number Re-engraving Permission' लेटर जारी किया जाता है।

RTO Field Inspection Note: अधिकृत बॉडी बिल्डर से नया चेसिस नंबर खुदवाकर पुनः MVI से वेरीफाई कराया जाता है।

Chapter 21: अकस्मात मृत्यु के मामले में RC ट्रांसफर (Form 31 Masterclass)

यदि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाए, तो 30 दिन के भीतर RTO को सूचना देकर 3 महीने के भीतर वारिस (Legal Heir) के नाम गाड़ी ट्रांसफर करानी होती है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

इसके लिए Form 31 के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate), लीगल हेयर सर्टिफिकेट / उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और अन्य वारिसों का Form 30 NOC जमा होता है।

RTO Field Inspection Note: मृत्यु के मामलों में पेनल्टी से बचने के लिए 30 दिन के अंदर ऑनलाइन इन्टीमेशन दर्ज कराना अनिवार्य है।

Chapter 22: ऑक्शन / नीलामी वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन (Form 32)

सरकारी विभागों या सेना (Army) द्वारा नीलाम की गई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन Form 32 के माध्यम से होता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

फाइल के साथ ऑक्शन कैटलॉग, गवर्नमेंट सेल सर्टिफिकेट (Form 21), और नीलाम करने वाले अधिकारी की रिलीविंग लेटर संलग्न होती है।

RTO Field Inspection Note: ऑक्शन फाइलों में बैकलॉग डेटा और बी-रजिस्टर वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

Chapter 23: RTO एजेंट के लिए 15-Year & Commercial वर्क की प्राइसिंग

15 साल पुरानी गाड़ियों की फिटनेस और कमर्शियल परमिट वर्क में एजेंट को सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

15-Year Fitness Renewal Charge: सरकारी फीस के अलावा एजेंट ₹3,000 से ₹5,000 नेट सर्विस चार्ज लेता है।

RTO Field Inspection Note: Inter-State NOC & Re-registration Charge: ₹5,000 से ₹10,000 तक सर्विस चार्ज लिया जाता है क्योंकि इसमें दो आरटीओ का काम शामिल होता है।

Chapter 24: डिजिटल आर्काइविंग एवं कस्टमर डॉक्यूमेंट सेफ्टी

अपने हर कस्टमर की फाइल का डिजिटल स्कैन (PDF) अपने गूगल ड्राइव या कंप्यूटर में सुरक्षित रखें।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

भविष्य में यदि कस्टमर की आरसी गुम होती है या इंश्योरेंस क्लेम आता है, तो आप 2 मिनट में उन्हें उनका पुराना रिकॉर्ड दे सकते हैं।

RTO Field Inspection Note: इससे कस्टमर का विश्वास बढ़ता है और वह जीवन भर आपका पक्का क्लाइंट बन जाता है।

Chapter 25: व्यावसायिक RTO एजेंसी की दीर्घकालिक सफलता के नियम

1. हमेशा RTO के अद्यतन नियमों (CMVR Updates) से अपडेट रहें।

फील्ड वर्क एवं ऑपरेशन्स विवरण

2. कभी भी किसी कस्टमर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट (RC/DL) बिना रसीद दिए अपने पास न रखें।

RTO Field Inspection Note: 3. RTO अधिकारियों, कर्मचारियों और इंस्पेक्टर के साथ हमेशा शालीन और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। आपका पेशेवर ज्ञान ही आपकी असली ताकत है।